

पत्रांक:-भवन/सू०अ०-14/2016.....

822 (अ) 34

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

सूर्यकान्त मणि,  
सरकार के अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
अपर सचिव,  
संयुक्त सचिव,  
सभी उप सचिव,  
सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना  
सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित),  
सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित),  
सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित),  
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक:- 24.1.18

**विषय:-** राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिए गए निदेशों से अवगत कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-554 दिनांक-11.01.2018 द्वारा प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि राज्य सूचना आयोग द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

24/01/18  
(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के अवर सचिव-सह-लोक सूचना पदाधिकारी,  
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

24/01/18

पत्रांक-21/रा.सू.आ.-05/2016,सा.प्र.554/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक:

भीम प्रसाद,  
सरकार के संयुक्त सचिव।उप सचिव (रा. सू. आ.)  
15/11/18

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/  
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/  
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक 11-1-18

विषय:- राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिये गये निदेशों से अवगत कराने के संबंध में।

प्रसंग:- राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-7286 दिनांक-06.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना के स्तर से वाद संख्या-ए-6074/17 में दिनांक-18.10.2017 को पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार कहना है कि संदर्भित आदेश में राज्य सूचना आयोग द्वारा दिये गये निदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी प्रथम अपीलीय प्राधिकारों को उपलब्ध कराते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अनु:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(भीम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।



122

90

राज्य सूचना आयोग  
सूचना भवन, चौथा तल्ला, बेली रोड, बिहार, पटना।  
दूरभाष- 2215713, 2235059, 2200412, 2200426 फ़ैक्स-2235466

वाद संख्या-ए-6074/17

श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, पटना।  
बनाम्

133 160 /  
1103 101 10

प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, पटोरी, समस्तीपुर।/ लोक सूचना  
पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड-मोहनपुर, समस्तीपुर।

18.10.2017

The appellant is present and submits that required information has not been provided to him. Sh. Ramadhar Prasad, Executive Magistrate, Patori is present on behalf of SDO, Patori-cum-First Appellate Authority and produced letter no. 2064 dated 17.10.2017 sent by SDO, Patori in connection with this case. SDO, Patori-cum-First Appellate Authority, in the said letter, has stated that during hearing of first appeal neither the appellant nor BDO, Mohanpur-cum-PIO appeared before him hence the appeal was disposed of.

J.S(S-21)

US/So-21  
8/11/17

07 NOV 2017

BDO, Mohanpur, Samastipur has not sent any report about providing information to appellant. The appellant submits that he has received copy of letter no. 163 dated 04.03.2017 of BDO addressed to Panchayat Secretary, Dharnipatti East whereby the said Panchayat Secretary was directed to provide information to applicant.

From perusal of the said letter, it prima facie appears that form A was not transferred to Panchayat Secretary, Dharnipatti East U/s 6(3) of RTI Act and rather the said letter appears to be issued U/s 5(4) of RTI Act.

In view of above, Panchayat Secretary Dharnipatti as deemed PIO U/s 5(5) of RTI Act as well as BDO, Mohanpur-cum-PIO are hereby directed to provide required information to applicant within 30 days and appear on the next date with explanation as to why suitable penalty U/s 20(1) of RTI Act be not imposed against them for causing delay in providing information in time.

So far as disposal of first appeal in absence of BDO is concerned, SDM, Patori is hereby reminded that where any government servant designated as Public Information Officer does not respond in spite of notice during hearing of first appeal, he has powers to initiate suitable disciplinary proceeding against such officer in accordance with service law. That is why controlling officer immediate superior to the officer designated as public information officer are nominated as first appellate authority.

Let a copy of this order be sent to Principal Secretary, General Administration Department for its circulation to all officers working as first appellate authority under RTI Act. Next date is 18.12.2017 at 10:30AM.

421  
8.11.17  
श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह  
08.11.17

1395/11021  
23/11/17

(121)

Sd/-  
(Om Prakash)  
State Information Commissioner

ज्ञापांक- 7286 रा0सू0आ0

पटना, दिनांक- 6/11/2017

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।/प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, पटोरी, समस्तीपुर।/लोक सूचना पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड-मोहनपुर, समस्तीपुर।/पंचायत सचिव-सह-डिम्ड लोक सूचना पदाधिकारी, ग्राम पं0-धरनीपट्टी पूर्वी, मोहनपुर, समस्तीपुर।/श्री शम्भू पोद्दार, पिता-श्री नारायण पोद्दार, ग्राम-छोटी बलिया, मोलानाचक, थाना-लिया, पो0-लखमिनियों, जिला-बेगूसराय-851211 को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय)  
प्रशाखा पदाधिकारी

6/11/17